भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1774

उत्तर देने की तारीख: गुरूवार, 22 दिसंबर, 2022

1 पौष, 1944 (शक)

देवी-देवताओं की मूर्तियों की तस्करी

1774. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बड़ी संख्या में महंगी और प्राचीन वस्तुओं जैसे विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियों की विदेशों में तस्करी की जाती थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशों से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारत का किसी अन्य देश के साथ उक्त वस्तुओं को स्वदेश लाने के लिए कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक भारत को लौटाई गई ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : भारत से विभिन्न समयावधि में पुरातत्वीय संपदा की चोरी हुई है । तथापि, इस संबंध में स्पष्ट डाटा उपलब्ध नहीं है।

(ग): भारत सरकार हमारे देश से चोरी हुए भारतीय मूल के पुरावशेषों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब भी विदेश में किसी स्थान पर भारतीय मूल के किसी पुरावशेष होने का पता चलता है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसको वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेश में दूतावासों /मिशनों के साथ मामले को उठाता है ।

(घ) और (ड.) : पुरावशेषों को वापस भारत लाने के लिए भारत का किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता नहीं है। तथापि, भारत ने 142 अन्य देशों के साथ 1970 के यूनेस्को कन्वेंसन पर हस्ताक्षर किए हैं । इस कन्वेंसन में सांस्कृतिक संपति के अवैध निर्यात, आयात और स्वामित्व हस्तांतरण के निषेध और रोकथाम के उपायों का प्रावधान हैं। अभी तक, विभिन्न देशों से 242 पुरावशेष वापिस भारत लाए गए हैं, जिनमें से, 229 पुरावशेष तो वर्ष 2014 से आज की तारीख तक भारत वापिस लाए गए हैं।
